

आज दिनांक 06-11-2020 को श्रीमान अविनाश चन्द्र, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन बरेली द्वारा पुलिस लाईन के सभागार कक्ष में जनपद से समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री/तस्करी, अवैध शस्त्र/फैक्ट्री/कारतूसो, जाली मुद्रा के अपराध में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही तथा थानो पर लम्बित एस0आर0 केस, पोक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एक्ट की विवेचनाओ का शीघ्र निस्तारण व मानिट्रिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करने तथा आगामी त्योहारों को सकुशल शान्ति पूर्ण रूप से मनाये जाने हेतु कानून – व्यवस्था के संबध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये । साथ ही उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित अभियान मिशन शक्ति , यातायात माह के बारे में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।





**थाना शिवालाकला पुलिस/स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का निर्माण व विक्रय करने वाले 03 अभियुक्तगण 1125 पव्वे फाईटर मार्का अवैध शराब, 600 लीटर अपमिश्रित शराब (कीमत करीब 04 लाख 80 हजार रुपये) व 01 डस्टर गाडी व 02 मोटर साईकिल व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।**

मु0अ0सं0-193 / 2020 धारा-420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 413 / 414 भादवि0 व धारा 60(1) / 63 / 72  
आ0अ0

दिनांक घटना-05.11.2020

समय- 20:30 बजे

घटना स्थल-जंगल ग्राम मुराहट

दिनांक गिर0/बरा0-05.11.2020

समय-20:30 बजे

गिर0/बरा0स्थल-जंगल ग्राम मुराहट

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-**

- 1-देशराज पुत्र मुख्तियार सिंह नि0 मौ0 दतिया वाला बुगरासी थाना नरसैना, जनपद बुलन्दशहर
- 2-अनित कुमार उर्फ चूनिया पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम मुराहट थाना शिवाला कला, जनपद बिजनौर
- 3-गुड्डू पुत्र चन्द्रभान नि0 चांगीपुर थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर

**फरार अभियुक्तगण का नाम पता:-**

- 1-अंकुल पुत्र मदनपाल नि0 ग्राम मुराहट थाना शिवाला कला, जनपद बिजनौर
- 2-अरविन्द उर्फ भीम उर्फ सोनू पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर

**बरामदगी का विवरण-**

- 1- 25 पेटी फाईटर मार्का (1125 पव्वे अवैध शराब)
- 2- 12 अदद कैन भरी (600 लीटर अपमिश्रित शराब)
- 3- 10 किलो ग्राम यूरिया अवैध शराब बनाने हेतु
- 4- 01 अदद मशीन टक्कन पैकिंग हेतु
- 5- 01 अदद टंकी रंग सफेद
- 6- 10 पैकेट लाल रंग के नये ढक्कनो के
- 7- 12 पैकेट हरे रंग के नये ढक्कनो के
- 8- 14 प्लास्टिक के पैकेट मे खाली पव्वे बिना ढक्कन बिना रेपर
- 9- 03 अदद कैन प्लास्टिक कैमिकल भरी हुई
- 10- 01 अदद तीव्रता मापक यन्त्र
- 11- 02 अदद टेप
- 12- 240 सीट, रैपर फाईटर मार्का
- 13- 450 सीट, रैपर तोहफा मार्का
- 14- 240 सीट क्यूआर कोड
- 15- 115 सीट बार कोड फाईटर
- 16- 10 गत्ता पेटी, पैकिंग बंडल
- 17- 04 अदद मोबाईल
- 18- 03 अदद डिब्बे रंग अजन्ता मार्का
- 19- 80 कन्सतर टीन खाली
- 20- 40 अदद शीशी सैनेटाईजर
- 21- 02 अदद मोटर साईकिल नं0 - UP13 BJ 3007 o UP20 V 5608
- 22- 01 अदद कार डस्टर रंग कॉफी नं0 - DL8CAK0494



### पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1—मु0अ0स0—193 / 2020 धारा—420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 413 / 414 भादवि0 व धारा 60(1) / 63 / 72 आ0अ0

### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास—

#### अभियुक्त अरविन्द उर्फ भीम उपरोक्त—

- 1—मु0अ0स0 116 / 20 धारा 420 / 467 / 471 / 272 भादवि व 60(1) / 63 आ0 अधि0 व थाना नूरपुर
- 2—मु0अ0स0 935 / 15 धारा 420 / 413 / 411 / 414 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
- 3—मु0अ0स0 831 / 15 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
- 4—मु0अ0स0 858 / 15 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
- 5—मु0अ0स0 932 / 15 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
- 6—मु0अ0स0 955 / 15 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
- 7—मु0अ0स0 960 / 15 धारा 411 / 413 / 414 / 420 भादवि थाना सिविल लाईन मुरादाबाद
- 8—मु0अ0स0 14277 / 15 धारा 379 / 411 भादवि थाना पांडव नगर दिल्ली
- 9—मु0अ0स0 487 / 19 धारा 60(1) आब0 अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर
- 10—मु0अ0स0 288 / 20 धारा 2 / 3 गैगस्टर एक्ट थाना नूरपुर बिजनौर
- 11—मु0अ0स0 193 / 20 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 413 / 414 भादवि व 60(1) / 63 / 72 आबकारी अधि0 थाना शिवालाकला

#### अभियुक्त अनित कुमार उर्फ चुनिया उपरोक्त—

- 1—मु0अ0स0 60 / 20 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना शिवालाकला
- 2—मु0अ0स0 141 / 20 धारा 60(1) आब0 अधि0 थाना शिवाला कला
- 3—पेटी केस नं0 8 / 20 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना शिवाला कला
- 4—मु0अ0स0 193 / 20 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 413 / 414 भादवि व 60(1) / 63 / 72 आबकारी अधि0 थाना शिवालाकला

#### अभियुक्त अंकुल उपरोक्त—

- 1—मु0अ0स0 60 / 20 धारा 457 / 380 / 411 भादवि थाना शिवालाकला बिजनौर
- 2—मु0अ0स0 141 / 20 धारा 60(1) आब0 अधि0 थाना शिवाला कला बिजनौर
- 3—पेटी केस नं0 8 / 20 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना शिवाला कला बिजनौर
- 4—मु0अ0स0 193 / 20 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 272 / 413 / 414 भादवि व 60(1) / 63 / 72 आबकारी अधि0 थाना शिवालाकला

#### अभियुक्त गुड्ड उपरोक्त—

1- मु0अ0स0 193/20 धारा 420/467/468/471/272/413/414 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधि0 थाना शिवालाकला

### अभियुक्त देशराज उपरोक्त-

1-मु0अ0स0 193/20 धारा 420/467/468/471/272/413/414 भादवि व 60(1)/63/72 आबकारी अधि0 थाना शिवालाकला

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

आगामी दीपावली के पर्व को देखते हुए जनपद में अवैध शराब निष्कर्षण, तस्करी, विक्रय आदि की घटनाये बढ जाने के दृष्टिगत जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2020 को थाना शिवालाकला पुलिस व स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से संकलित सूचना के आधार पर जंगल ग्राम मुराहट में बने राजू पुत्र नरदेव के मकान से 1125 पक्वे फाईटर मार्का अवैध शराब, 600 लीटर अपमिश्रित व 01 डस्टर गाडी व 02 मोटर साईकिल व शराब बनाने के उपकरण सहित उपरोक्त 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के अन्य 02 साथी रात मे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

### पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि यह कारोबार अरविन्द उर्फ भीम पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम चांगीपुर थाना नूरपुर, बिजनौर का है। हम तो उसके साथ मिलकर काम करते है। आने वाला समय त्यौहार का है, जिस पर शराब कि बिकि अधिक मात्रा में होती है, जिससे अधिक बचत होती है। जिस कारण हम लोग शराब खाम तैयार कर बाजार से पक्वे व ढक्कन खरीदकर उन पर फाईटर मार्का देशी शराब का नकली लेवल लगाकर विक्रय करते है जिससे लोगो को यह विश्वास हो जाये कि इन पक्वों में असली देशी शराब है।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

थाना शिवालाकला- 1-थानाध्यक्ष श्री राजीव चौधरी कुमार 2-उ0नि0 श्री मानचन्द 3-उ0नि0 श्री संजीव कुमार 4-उ0नि0 श्री उमेश कुमार 5-कां0 1863 हरेन्द्र 6-कां0 1258 नितिन कुमार 7-कां0 123 शहजाद 8-कां0 1229 विवेक कुमार थाना शिवालाकला, जनपद बिजनौर।

स्वाट/सर्विलांस टीम- 1-उ0नि0 श्री मनोज परमार (प्रभारी) 2-उ0नि0 श्री संजय कुमार 3-कां0 1002 खालिद 4-कां0 1579 रईस अहमद 5-कां0 1225 अरुण कुमार 06-कां0 1296 राजकुमार नागर 07-कां0 1326 मोहित शर्मा 08-कां0 विकास बेंसला

नोट- पुलिस टीम के उत्सावर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 10,000/रूपये के नगद पुरस्कार से पुरूस्कृत किया गया।

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे 15,000-15,000/रूपये का पुरस्कार**

**घोषित अभियुक्तगण अरविन्द व मिथुन की गिरफ्तारी के संबंध में।**

मु0अ0सं0-541/2020

धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम- अरविन्द व मिथुन

दिनांक घटना-06.11.2020

घटना स्थल- जंगल ग्राम बलीपुर गांवडी

दिनांक गिर0/बरा0-06.11.2020

गि0/बरा0 स्थल- जंगल ग्राम बलीपुर गांवडी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अरविन्द पुत्र गजराज सिंह नि0 ग्राम बलीपुर गांवडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2-मिथुन पुत्र ऋषपाल सिंह नि0 ग्राम बलीपुर गांवडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1- 01 तंमचा 315 बारे व 02 जिंदा कारतूस

2- 01 तंमचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-635/2020

धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अरविन्द



### अपराधिक इतिहास-

#### अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त-

- 1-मु0अ0सं0 541 / 20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना थाना चांदपुर
- 2-मु0अ0सं0 169 / 19 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 3-मु0अ0सं0 03 / 19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर
- 4-मु0अ0सं0 337 / 15 धारा 60(1) / 60(2) आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर
- 5-मु0अ0सं0 635 / 20 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर

#### अभियुक्त मिथुन उपरोक्त-

- 1- मु0अ0सं0 541 / 20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना थाना चांदपुर
- 2-मु0अ0सं0 168 / 19 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर
- 3-मु0अ0सं0 03 / 19 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर
- 4-मु0अ0सं0 606 / 18 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना चांदपुर
- 5-मु0अ0सं0 636 / 20 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना चांदपुर पर गैंगस्टर एक्ट में वाछिंत व 15,000-15,000 /रूपये के ईनामी अभियुक्तगण अरविन्द व मिथुन निवासी ग्राम बलीपुर गांवडी थाना चांदपुर, बिजनौर जो थाना चांदपुर के मु0अ0सं0 541 / 2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट मे फरार चल रहे थे।

आज दिनांक 06.11.2020 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा ईनामी अभियुक्तगण अरविन्द व मिथुन उपरोक्त को जंगल ग्राम बलीपुर गांवडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरविन्द के कब्जे से 01 तंमचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतस व अभियुक्त मिथुन के कब्जे से 01 तंमचा 12 बोर व 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए हुए हैं। जिनके संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 635 / 2020 व 636 / 2020 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम अरविन्द व मिथुन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 1-उ0नि0श्री सुभाषचंद बालियान 2-उ0नि0 श्री नरेश कुमार 3-हे0का0 84 सुधीर कुमार 4- का0 65 सुनील कुमार 5-का0 1356 अंकित चौहान

**नोट**—आज दिनांक 06.11.2020 को पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर की चोकी बेगावाला का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया गया। इस दौरान उपाधीक्षक नगर एवं थाना प्रभारी कोतवाली शहर मौजूद रहे।





आज दिनांक 06.11.2020 को एक वृद्ध व्यक्ति मंगू पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम रेहडवा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर अपनी समस्या को लेकर पुलिस कार्यालय के बाहर बैठे थे। उनको यह नहीं पता था कि अधिकारी के मिलने का समय क्या है। इसी दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के बाद अचानक पुलिस कार्यालय पहुँचे तो देखा कि वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल अपनी गाडी से उतरकर उनकी समस्या को गंभीरता से सुनकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये और बुर्जुग को उनकी समस्या के समाधान हेतु विश्वास दिलाया।



पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बँकों को चैक कर, बैंक में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाने व कैश जमा करने/निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने हेतु बताया गया ।



थाना अफजलगढ:- थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा दो अभियुक्तगण 1- अंकुर पुत्र गिरवर सिंह  
2- रविंद्र कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नवाबपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को  
अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।





# मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा  
नारी सम्मान

शास्त्रीय नवरात्र, 2020 - वासन्तिक नवरात्र, 2021

जनपदीय एंटी रोमियो टीम प्रभारी उ०नि० श्रीमती नीलम सिंह द्वारा नगर क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी रामलीला ग्राउंड के पास जाकर उ०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया ।





थाना नूरपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र के न्यू हैवन इंटर कालेज में महिलाओ/अध्यापिकाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारे जागरूक किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया।



थाना प्रभारी रेहड द्वारा द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र के KSBD हायर स्केण्डरी स्कूल में महिलाओ/अध्यापिकाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारे जागरुक किया । साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया ।



थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाते हुये ।



थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाते हुये ।



थाना स्योहारा की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाते हुये ।



थाना शिवाला कलां एंटो रोमियो द्वारा नगर क्षेत्र के ग्राम फीना में जाकर उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया ।



